न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी श्री रोहित कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 131/2019

सरकार बनाम 1. फतेहसिंह, महेन्द्रसिंह, उसबकंवर वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,,86 भू–अभिलेख नियम 1970.

आदेश दिनांकः–.24 .12.2019

पत्रावली आज पेश हुई। तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम **तिलवाडा** के मूल खसरा नं 104 है वर्तमान में इसकें विभाजित खसरा न. है जिसकी वर्तमान जमाबंदी अनुसार स्थिति संलग्न परिशिष्ट 'अ' के कालम 1 से 7 अनुसार है। भू. अ. नि. व पटवारी की रिपोर्ट एवं उप तहसीलदार जसोल की अनुशंषा अनुसार उपर्युक्त खसरान के बट्टा नम्बर के नामान्तरकरण की पुश्त पर नजरी नक्शा प्रदर्शित नहीं है। मौके पर भी जमाबन्दी अनुसार किया जाना सभंव नहीं है। अतः संलग्न अतः परिशिष्ट 'अ' के कालम 8 से 12 अनुसार खसरे व खाते का एकीकरण करने का आदेश का निवेदन किया ।

विप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किया गया। बावजूद इतला विप्रार्थीगण अनुपस्थित।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 131, 136 के तहत राजस्व रेकर्ड में हुई किसी अशुद्दि को शुद्व करने हेतु आदेश दिया जाता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विभाजित खसरान का एकीकरण कर एक खसरा नम्बर एक खाता दर्ज करने का आदेश देने का निवेदन किया गया जिसके कारण यह सारहीन है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

आदेश खुल न्यायालय मे दिनांक .24.12.2019 को सुनाया गया ।

(रोहित कुमार)

भू–अभिलेख अधिकारी,
(एसडीओ) बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner